झम्मन लाल पी.जी. कॉलेज

ज्ञान एवं युक्ति से सब संभव है

स्थापित 2005

झम्मन लाल पी.जी. कॉलेज

हसनपुर (अमरोहा)

(महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध)

एम.ए., एम.एस.-सी., एम.कॉम., बी.ए., बी.एस-सी. तथा बी.काम. उपाधियों के लिए

NCC
शीघ्र प्रारंभ

विवरण-पत्रिका
2016-2017

सत्र 2016-17 से बी.ए./बी.एस.सी./
बी.कॉम. के प्रथम वर्ष में प्रवेश
ऑनलाईन भी किये जायेंगे।

मूल्य : 100.00

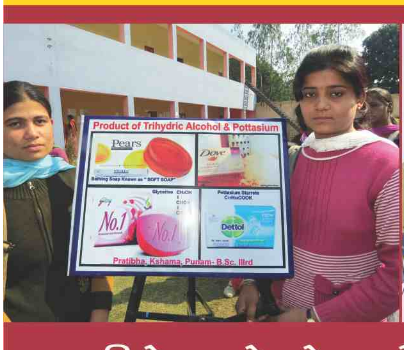

विशेष : प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने से
पूर्व विवरण-पत्रिका अवश्य पढ़ लें।

9837791663, 9927658856, 9410013231, 7599209639
Email : jldchasanpur@rediffmail.com, jhammanlalpgcollege@gmail.com
Website : jldchasanpur.com,

झम्मन लाल पी.जी. कॉलेज, हसनपुर (अमरोहा)

संस्थापित 2005 ई.

यह महाविद्यालय हसनपुर की सीमा में तथा गजरौला हाईवे से 11 किमी पूर्व में स्थित है।

झम्मन लाल जी का जीवन परिचय

इस महान विभूति का जन्म सन् 1873 में राजा का सहसपुर में हुआ था। आपके पिता श्री मूलचंद जी सहसपुर के राजा के यहाँ दीवान थे। जब ये मात्र 6 वर्ष के थे तभी आपके पिता का देहान्त हो गया। आप बचपन से ही एक विलक्षण बुद्धि के बालक थे और पढ़ाई में बेहद रूचि रखते थे। बड़े होकर आपने अध्यापन के कार्य को ही चुना। आपने मुरादाबाद मंडल के कई विद्यालयों में हेडमास्टर के पद को सुशोभित किया। आप सूरजनगर में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी रहे। आप मुरादाबाद मंडल के प्रसिद्ध एवं रौबदार हेडमास्टर रहे और ब्रिटिश सरकार द्वारा "राय बहादुर" की उपाधि से नवाज़े गये। आपने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आपका सारा जीवन माँ सरस्वती की सेवा में व्यतीत हुआ। आपके एकमात्र पुत्र श्री योगेन्द्र नाथ सक्सेना भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे एवं हसनपुर नगरी में ही 40 वर्षों तक शिक्षा जगत को सहयोग दिया। आपके बड़े पौत्र श्री सुनील कुमार सक्सेना भी दिल्ली सरकार में "उच्च शिक्षा विभाग" में सहायक निदेशक थे आपसे प्रेरित होकर एवं पिता एवं भ्राता के संरक्षण और मार्ग दर्शन में आपके छोटे सुपौत्र श्री गोपाल सक्सेना ने इस महाविद्यालय का निर्माण कराया।

आपने अपने जीवन काल में "सफरनामा कूचअज़ दुनिया" नामक किताब भी लिखी। आप शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर थे, आपका व्यक्तित्व व जीवन बहुत अनुशासित था। आपका हमेशा से एक सपना था कि हसनपुर में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय होना चाहिए। आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए आज इस महाविद्यालय का निर्माण हुआ है। आप भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और शिवरात्रि के ही दिन 16 फरवरी सन् 1958 को आपका देहावसान हो गया।

संदेश

विद्यार्थियों,

वर्ष 2016-17 की विवरण पत्रिका आपको सौंपते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता, गर्व एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। 2005 में स्थापित यह महाविद्यालय निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। शिक्षा के इस मंदिर में आज बी.ए. में 16 विषयों, बी.एस.सी. में 5 विषयों, बी.कॉम., एम.ए. में अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, ड्राईंग एवं पेंटिंग, उर्दू, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र, एम.एस.सी. में रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों में पढ़ाई हो रही है, आज इस महाविद्यालय में क्षेत्र के लगभग 4000 छात्र-छात्राऐं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शहर के नन्हे-मुन्नों की पढ़ाई के लिए भी प्रबन्ध तंत्र ने "सुनील कुमार इन्टरनेशनल एकेडमी" को प्रारम्भ किया है। जिसमें स्मार्ट क्लासेस द्वारा पढ़ाई करायी जा रही है। इसमें प्री-नर्सरी, नर्सरी, एल.के.जी, यू.के.जी एवं कक्षा 1, 2, 3, 4 व 5 की कक्षायें लग रही हैं। अगले वर्ष से यह कक्षायें 8 एवं 12 तक की लग जायेंगी। शीघ्र ही सीबीएसई दिल्ली से कक्षा 12 तक मान्यता प्राप्त कर ली जायेंगी।

प्रबन्धतंत्र, शिक्षकगण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की लगन एवं प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप ही यह महाविद्यालय आज इतनी प्रगति कर पाया है। यदि आप इसका पूरा लाभ उठाएं तभी इसकी सार्थकता पूर्ण होगी। आपका यह महाविद्यालय क्षेत्र का ही नहीं बल्कि रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली का भी एक बहुत ही साफ-सुथरी छवि वाला कॉलेज है। आप सच्चे मन, पूर्ण निष्ठा एवं लगन तथा अनुशासन के साथ इसमें शिक्षा प्राप्ति एवं सर्वांगीण विकास हेतु आयें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी और आप राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह सफलतापूर्वक कर सकेंगे।

गोपाल सक्सेना (एम.टेक.)

निदेशक

भवन एवं साज–सज्जा

महाविद्यालय अनेक भव्य भवनों, सुन्दर उद्यान, विस्तृत क्रीड़ा–स्थल, मनोविज्ञान एवं चित्रकला पुस्तकालय एवं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान आदि विषयों के लिए उच्च स्तर की सुसज्जित प्रयोगशालाओं से परिपूर्ण है।

अध्ययन–विषय : महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अर्न्तगत होंगे। और कक्षाओं में प्रवेश स्ववित्तपोषित योजना के अर्न्तगत दिये जायेंगे। महाविद्यालय निम्नलिखित विषयों में शिक्षा प्रदान कराता है :

1. **बी.ए. :** प्रत्येक विद्यार्थी को चार विषय लेने अनिवार्य हैं, जिसमें एक विषय हिन्दी भाषा अथवा सामान्य अंग्रेजी अनिवार्य है। शेष तीन वैकल्पिक विषय निम्नलिखित वर्गों में से लेने होंगे :

वर्ग-I	वर्ग-II	वर्ग-III	वर्ग-IV	अनिवार्य विषय
हिन्दी भाषा	भूगोल	हिन्दी साहित्य	राजनीति शास्त्र	(i)खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा
अथवा	मनोविज्ञान	अंग्रेजी साहित्य	समाजशास्त्र	(ii) पर्यावरण
अंग्रेजी भाषा	गृहविज्ञान	उर्दू अथवा	अर्थशास्त्र	
	चित्रकला	संस्कृत	गणित, इतिहास	शिक्षाशास्त्र

1. वर्ग 1 में एक विषय लेना अनिवार्य है। मनोविज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र, उर्दू एवं संस्कृत में से एक विषय का चयन करें।
2. वर्ग II, III, IV में किसी से भी अधिकतम दो विषय लिए जा सकते हैं।
3. प्रत्येक विषय में मैरिट के आधार पर प्रवेश होगा।
4. विषय सम्बन्धी अंतिम निर्णय प्रवेश–समिति के पास सुरक्षित है।
5. बी.ए., बी.कॉम. तथा बी.एस.–सी. के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में 'पर्यावरण अध्ययन' विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। उत्तीर्ण न हो पाने की दशा में वह बाद में दो में से किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण कर सकता है।

   बी.ए. तृतीय वर्ष में अनिवार्य विषय को छोड़कर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में लिए गये वैकल्पिक विषयों में से कोई दो विषय लेने होंगे। बी.ए. प्रथम वर्ष में विद्यार्थी केवल दो साहित्य विषयों एवं दो प्रैक्टिकल विषयों का चुनाव कर सकता है इससे अधिक नहीं।

बी.एस–सी. : बी.एस–सी. में निम्नलिखित समवायों (Combinations) की अनुमति है –
1. भौतिक विज्ञान, गणित तथा रसायन विज्ञान
2. जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान

बी.कॉम. : ग्रुप ए, बी, सी

एम.ए. : अंग्रेजी, गृहविज्ञान, भूगोल, ड्राईग एवं पेटिंग, उर्दू, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र

एम.एस–सी. : गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान

एम.कॉम. : समस्त ग्रुप

शुल्क नियम

1. महाविद्यालय का शुल्क प्रवेश के समय एक बार में जमा किया जायेगा। जोकि **HDFC** बैंक हसनपुर शाखा के खाता सं. **50100008658662** में जमा करना होगा
2. प्रवेश हेतु जमा कराया गया शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नहीं जायेगा, भले ही विद्यार्थी प्रवेश के बाद कक्षा में न आयें।
3. विद्यार्थी की प्रतिभूति राशि (कॉशन मनी) उनके महाविद्यालय छोड़ने पर उनके द्वारा अनजाने में की गई हानि तथा टूट–फूट के लिए आवश्यक कटौती करने के बाद लौटाई जा सकेगी। महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर कॉशन मनी वापिस न लेने पर विद्यार्थी उक्त धनराशि महाविद्यालय के हित में खो देंगे।
4. प्रयोगात्मक विषयों सहित भूतपूर्व परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रयोगात्मक परीक्षओं में सम्मिलित होने से पूर्व शुल्क अग्रिम रूप में जमा करना अनिवार्य है।, अन्यथा उन्हें प्रयोगात्मक परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
5. महाविद्यालय परिषद् में जनरेटर की सुविधा विद्यार्थियों के लिए की गयी है। इसके लिए **300 रु. प्रतिवर्ष** विद्यार्थियों को अलग से भुगतान करना अनिवार्य हैं।
6. वि.वि. परीक्षा शुल्क, विकास शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, नामांकन शुल्क, डिग्री एवं समस्त आवेदन फार्म का शुल्क अलग से देय होगा।
7. **विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क** :

बी.ए./बी.एस–सी./बी.कॉम.	प्रथम वर्ष	2050/–
बी.ए./बी.एस–सी./बी.कॉम.	द्वितीय वर्ष	1850/–
बी.ए./बी.एस–सी./बी.कॉम.	तृतीय वर्ष	2150/–
एम.ए./एम.एस–सी/एम.कॉम.	प्रथम वर्ष	1950/–
एम.ए./एम.एस–सी/एम.कॉम.	द्वितीय वर्ष	2150/–

(यदि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क में कोई बदलाव किया जाता है तो परीक्षा शुल्क उसी के अनुसार देय होगा)

प्रवेश नियम
(सत्र 2016–2017)

1. महाविद्यालय में सत्र 2016–2017 में विभिन्न कक्षाओं से सम्बन्धित विषयों में प्रवेश स्वीकृत सीटों तथा प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर दिये जायेंगे।
2. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए 10+2 की अर्हता पूर्ण करना आवश्यक है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजूकेशन, दिल्ली एवं वेदामऊ वैदिक विद्यापीठ, बदायूँ से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालय के आदेशानुसार स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए आवेदन न करें। जिन विद्यार्थियों के हाईस्कूल तथा इण्टर की अंकतालिकाओं/प्रमाण–पत्रों में उनके अथवा उनके पिता के नामों में भिन्नता है, वह भी प्रवेश के लिए आवेदन न करें।
3. प्रवेश स्वीकृत किये जाने के पश्चात् भी अपना शुल्क समयावधि में जमा न करने वाले छात्र प्रवेशाधिकार से वंचित हो जायेंगे।
4. बी.ए. प्रथम वर्ष, बी.काम प्रथम वर्ष तथा बी.एस-सी प्रथम वर्ष में स्थान सीमित हैं अत: प्रवेश योग्यताक्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर होंगे। अपूर्ण आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
5. प्रवेश साक्षात्कार के पश्चात् ही दिया जायेगा। साक्षात्कार के समय अंक तालिका तथा अन्य प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ दिखाना अनिवार्य है।
6. बी.ए. तथा बी.एस.-सी प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अन्तिम संस्था के प्राचार्य से सच्चरित्रता का प्रमाण–पत्र। व्यक्तिगत विद्यार्थियों के सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण–पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय की मुद्रा सहित होना चाहिए।
7. हाई स्कूल प्रमाण–पत्र, हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की स्व–प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है।
8. अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी) की स्व–प्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।
9. पिछली समस्त परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की स्व–प्रमाणित फोटो स्टेट प्रतिलिपियाँ संलग्न करना आवश्यक है।
10. इण्टरमीडिएट (कृषि) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को बी.एस.-सी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
11. बी.ए. एवं बी.एस.-सी. द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र के साथ हाईस्कूल, इण्टर एवं स्नातक प्रथम वर्ष की अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
12. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के सभी विद्यार्थियों को जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
13. स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु खेलकूद से सम्बन्धित अतिरिक्त भारांक उस स्थिति में दिये जायेंगे जो अभ्यर्थी ने 10+2 स्तर पर प्राप्त किये हों।
14. स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष में केवल इसी महाविद्यालय के संस्थागत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
15. विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।
16. परीक्षार्थियों को बी.ए./बी.एस.-सी की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में पूर्ण करनी होगी। गणना उसी शैक्षिक सत्र की जायेगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त किया है या परीक्षा दी है।
17. परीक्षार्थी को 16 में दर्शायी गई अनुमन्य समय सीमा के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण/पूर्ण न करने पर पुन: उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
18. विद्यार्थी को किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि वह उस पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर लेता है जिसमें वह पहले से प्रवेश ले चुका है अर्थात् दो पाठ्यक्रम एक साथ करने की अनुमति नहीं होगी अर्थात् दोनों पाठ्यक्रमों में से किसी एक का चयन करने का विकल्प परीक्षार्थी का होगा।
19. विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए अनुमन्य कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा में किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। यह प्रवेश निम्न के अधीन होगा :
    (क) सम्बन्धित विषय की बोर्ड ऑफ स्टडीज के संयोजक एवं सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात् छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को उसे पूरा करना होगा।
    (ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर सकेंगे।
    (ग) यह नियम स्नातकोत्तर कक्षाओं पर लागू नहीं होगा। किन्तु जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा को पार्ट (भाग एक दो अथवा तीन) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं, उन्हें उस विश्वविद्यालय में भाग दो तीन में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

20 विद्यार्थी जिसने किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है, को उसी स्नातक पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के अन्तर्गत ही मिलेगी।

21. पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होगी।

22. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में नहीं बैठता या विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुन: उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

21. पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होगी।

22. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में नहीं बैठता या विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुन: उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

23. अनुचित साधनों का प्रयोग अथवा प्रयोग का प्रयास करने वाले छात्रों एवं विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

24. (क) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा किसी भी अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी आपराधिक मुकदमे में शामिल है, को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) महाविद्यालय के प्राचार्य महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुन: प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं/मना कर सकते हैं चाहे मामला कैसा भी हो।

25. जिन विद्यार्थियों ने जामिया-ई-उर्दू अलीगढ़ से अदीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस महाविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

26. जिन विद्यार्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण की है वे बी.ए. में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

27. प्रदेश के बाहर से आये छात्रों के लिए (मेरिट) योग्यता के आधार पर केवल 5 प्रतिशत स्थान ही प्रवेश हेतु आरक्षित किये जायेंगे।

28. सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप प्रवेश सुविधा कुलपति के आदेश से दी जा सकती है एवं अभिभावकों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश इस शर्त पर दिये जा सकते हैं कि वे प्रवेश के लिए प्रात्रता रखते हों। ऐसे प्रवेश 31 अक्टूबर के उपरान्त नहीं लिये जायेंगे और इनके लिए सीटें निर्धारित सीटों के अतिरिक्त होंगी।

29. प्रवेश के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल का एक अंक घटाकर प्रवेश ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

30. प्रवेश हेतु तैयार की गयी मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे।

(क) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलकूद में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए भारांक	10 अंक
(ख) विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
(ग) विश्वविद्यालय /सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत, सेवानिवृत) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी	10 अंक
(घ) एन.सी.सी. के 'सी' सार्टिफिकेट अथवा 'जी' सार्टिफिकेट	10 अंक
(ड) एन.एस.एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें	10 अंक
एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें	05 अंक
120 घंटे तथा एक शिविर अथवा 240 घंटे की सेवाएं	05 अंक
या	
12 वीं कक्षा स्तर पर स्काउट सोपान परीक्षा उत्तीर्ण पर	10 अंक
या	
12 वीं कक्षा के स्तर पर सोपान तृतीय परीक्षा उत्तीर्ण पर	05 अंक
या	
राज्य स्तर पर पुरूस्कृत	10 अंक
भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरूस्कृत	10 अंक
रोवर्स रेंजर 10 दिन शिविर	05 अंक

नोट : किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे, शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी अर्थात् भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी।

31. स्पोर्ट्स कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु

विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के द्वारा दिये गये प्रवेश पर लागू नहीं होगा अर्थात् जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किये जायेंगे उन पर प्रवेश के लिए कुलपति अनुमति नहीं देंगे।

32. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क, अनिवासी शुल्क वाली सीट) में प्रवेश लेता है उसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

33. स्नातक स्तर पर एक विषय में छात्र व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है लेकिन प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब नियमित प्रवेश के उपरान्त महाविद्यालय में स्थान रिक्त हो।

34. एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश हेतु पारस्परिक स्थानान्तरण केवल स्नातकोत्तर कक्षाओं में अनुमन्य है जहाँ प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिये जाते हैं। (संचालित एवं नियमित) यह स्थानान्तरण विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की पारस्परिक अनापत्ति के आधार पर समान कक्षा में होना चाहिए और यह सुविधा केवल एक बार अनुमन्य होगी।

35. विश्वविद्यालय को उपरोक्त प्रवेश नियमों में संशोधन का अधिकार होगा। अन्तिम रूप में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होंगे।

परीक्षाएँ

विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त होने पर वितरित एवं संग्रहित किये जाते हैं छात्र/छात्राओं का दायित्व है कि वे नोटिस बोर्ड पर दर्शाये गये कार्यक्रमानुसार अपना परीक्षा फार्म सम्बन्धित काउण्टर से प्राप्त कर उसे भलीभाँति भर कर निश्चित समयावधि में स्वयं आकर जमा करें। काउण्टर से परीक्षा फार्म जमा करने की रसीद प्रदान की जाती है, जिसको विद्यार्थी सन्दर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की परीक्षा का प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय के सभी देय शुल्क जमा करना और प्रयोगशालाओं का तथा खेल का सामान, पुस्तकालय की पुस्तकें आदि वापिस करना अनिवार्य है। उपर्युक्त के अभाव में विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा। अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सुनिश्चित कर लें कि उनके आश्रितों ने उपर्युक्त नियमों का पालन किया है।

उपस्थिति

1. विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षा में प्रवेश का अधिकार पाने के लिए प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य हैं। उपस्थिति के लिए व्याख्यानों तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं को भिन्न-भिन्न विषय माना जायेगा।
2. कक्षा से निलम्बित किये जाने की अवस्था में किसी विद्यार्थी की उपस्थिति कक्षा में मान्य न होगी।
3. प्रयोगात्मक परीक्षा में बैठने की अनुमति से ही कोई भी विद्यार्थी, यदि उनकी उपस्थिति किसी विषय में कम है, लिखित परीक्षा में बैठने का अधिकारी नहीं होगा।
4. प्रत्येक माह की समाप्ति पर प्राध्यापक विद्यार्थियों को उनकी उपस्थिति बतायेंगे। यदि कोई प्राध्यापक नहीं बता पाते हैं तो विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह स्वंय मालूम करें क्योंकि उपस्थिति में कमी का दायित्व अन्ततः विद्यार्थी का ही है।
5. अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात को देखते रहें कि उनके आश्रित कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं। उन्हें अपने आश्रितों की उपस्थिति एवं पढ़ाई के बारे में महाविद्यालय के अधिकारियों से पूछते रहना चाहिए।
6. विद्यार्थी को किसी परीक्षा में बैठने से रोके जाने पर विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक की ओर से उपस्थिति अथवा प्रगति की कमी की अज्ञानता मान्य नहीं होगी।

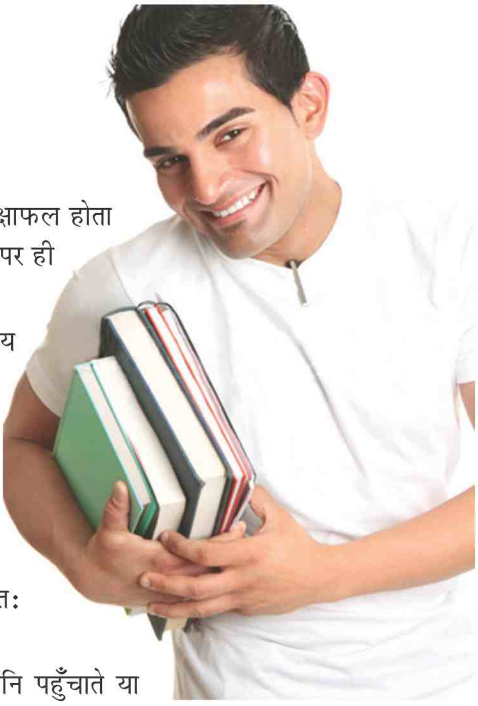

विद्यार्थियों के लिए सामान्य नियम

किसी भी महाविद्यालय को जो यश प्राप्त होता है उसका कारण विद्यार्थियों का अच्छा आचरण एवं उत्तम परीक्षाफल होता है। किसी संस्था की प्रगति, कीर्ति एवं सुव्यवस्था विद्यार्थियों के निश्चित नियमों एवं परम्पराओं का पालन करने पर ही निर्भर करती है। विद्यार्थियों की सहायता एवं निर्देश के लिए निम्नलिखित नियम हैं :

1. विद्यार्थी अपनी साईकिलों, स्कूटर, मोटर साईकिलों आदि को साईकिल स्टैण्ड पर रखें। महाविद्यालय परिसर में अन्य स्थान पर वाहन रखना वर्जित है।
2. विद्यार्थियों को बरामदों में नहीं घूमना चाहिए और कक्षाओं के चलते समय कक्षाओं के भीतर अथवा बाहर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।
3. महाविद्यालय की सम्पत्ति को, जो कि विद्यार्थियों की ही सम्पत्ति है, हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। दीवारों पर पोस्टर चिपकाना अथवा लिखना निषिद्ध है।
4. गुरुजनों, कर्मचारियों एवं एक दूसरे का आदर करना चाहिए। महाविद्यालय के भीतर और बाहर साधारणतः ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि अपने माता-पिता तथा संस्था के नाम को ऊँचा उठा सकें।
5. उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय की सम्पत्ति को हानि पहुँचाते या इमारतों को खराब करते देख कर ऐसा न करने की शिक्षा देनी चाहिए। यह तभी हो सकेगा जब स्वयं भी इसका पालन करें।
6. स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध क्रीड़ा-स्थल, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए।
7. रेल तथा बस से यात्रा करने वाले विद्यार्थियों को बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए तथा वहाँ के अधिकारियों से शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। उन्हें मासिक रेलवे कन्सेशन फार्म महाविद्यालय के कार्यालय में काउन्टर से लेना चाहिए।
8. विद्यार्थियों को परीक्षाएँ गम्भीरता पूर्वक देनी चाहिए। उन्हें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि किसी परीक्षा में सम्मिलित न होने पर उनकी पुनः परीक्षा नहीं होगी।
9. ऐसा व्यक्ति जिसका महाविद्यालय में प्रवेश नहीं है, कक्षा में नहीं बैठ सकता है।
10. विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा। चैक खो जाने पर 6 माह पश्चात् दूसरा चैक आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त ही दिया जा सकेगा।
11. अनुशासन एवं व्यवस्था संबंधी विषयों में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
12. विद्यार्थियों से मिलने वाले आगन्तुकों को चाहिए कि वे सम्बन्धित विद्यार्थियों से सीधे न मिलकर चीफ प्रॉक्टर से सम्पर्क स्थापित करें।
13. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान तथा अन्य कोई नशीले पदार्थ का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।
14. आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए अनुशासन मण्डल से सम्पर्क करें।
15. प्राचार्य एवं चीफ प्रॉक्टर की पूर्व अनुमति के बिना महाविद्यालय परिसर में प्रचारात्मक साहित्य प्रसारित करने वाले के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।
16. किसी भी प्रकार का हथियार छात्र/छात्रा द्वारा कॉलिज में लाना वर्जित है। इस नियम को तोड़ने पर अनुशासनात्मक व कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
17. **सरकारी आदेशों के अनुसार कक्षा में मोबाइल रखना पूर्णतया वर्जित है।**
18. महाविद्यालय में छात्र संघ का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई प्रयास न करें।

परिचय पत्र

शुल्क जमा करने के पश्चात् स्नातक भाग एक अथवा महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शुल्क लिपिक द्वारा जमा करने की रसीद दिखाने पर नवीन परिचय-पत्र दिया जायेगा। अनुशासनाध्यक्ष की संस्तुति आवश्यक है। नवीन परिचय-पत्र खो जाने की स्थिति में शुल्क काउन्टर पर रु. 50/- देकर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए जाँचोपरान्त अनुशासनाध्यक्ष की संस्तुति आवश्यक है। फर्जी परिचय पत्र बनवाने वाले को दण्डित किया जायेगा। डुप्लिकेट परिचय पत्र देने का अधिकार चीफ प्रॉक्टर को होगा। महाविद्यालय परिसर में परिचय-पत्र रखना अनिवार्य है। महाविद्यालय कार्यालय से कोई भी भुगतान बिना परिचय-पत्र के नहीं होगा।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

1. महाविद्यालय का पुस्तकालय सुसम्पन्न एवं उपयोगी पुस्तकों से परिपूर्ण है तथा वाचनालय में अनेक दैनिक पत्र एवं पत्रिकायें उपलब्ध रहती हैं। महाविद्यालय में बुक बैंक की भी व्यवस्था है। विद्यार्थी इसके सदस्य बनकर इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। महाविद्यालय से सीमित पुस्तकें ही मिल सकेंगी। परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यार्थियों को पुस्तकें वापिस करनी होंगी अथवा पुस्तकों के लिये मूल्य प्रतिभूत के रूप में जमा करना होगा।
2. प्रतिभूत राशि अगले सत्र की 31 जुलाई तक वापिस ले लेनी चाहिए।
   "यदि विद्यार्थी महाविद्यालय में अनियमित या अनुपस्थित रहता है या किसी शिक्षक या कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करता है या किसी ऐसे कार्य में सहयोग करता है जो महाविद्यालय के नियम व गरिमा के विरूद्ध हो या छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कोई अनुचित दबाव डालता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।" (शासकीय निर्देशानुसार परिवर्तनीय)।

शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्तियाँ

निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क एवं अर्द्धशुल्क मुक्ति आवेदन करने पर स्वीकृत की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति शासकीय नियमानुसार प्रदान की जाती है। शासन के नियमानुसार अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर सभी आवश्यक प्रपत्रों सहित महाविद्यालय में समय से जमा करें।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु सामान्य नियम

1. आयु सीमा

(अ) अनु.जाति : 2,00,000/- (दो लाख) वार्षिक तक पूर्ण छात्रवृत्ति व पूर्ण अनावृत्ति सहायता।

(ब) पिछड़ी जाति : अधिकतम वार्षिक आय 2,00,000/- विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पर आय प्रमाण पत्र एवं शुल्क जमा करने की रसीद दिखाने के पश्चात् ही दिये जायेंगे।

1. आय प्रमात्र-पत्र जो तहसीलदार द्वारा प्रदत्त हो, की मूल प्रति मान्य होगी।
2. तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति मान्य होगी।
3. अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा की स्थायी अंक तालिका की प्रमाणित तथा स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।

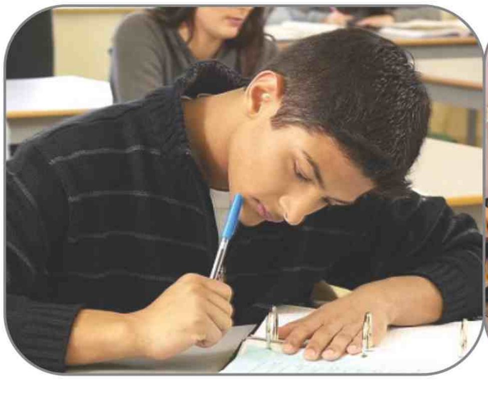

महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त अन्य छात्रवृत्तियां

योग्य एवं अच्छे आचरण वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित छात्रवृत्तियां दी जाती हैं :

1. स्व. श्री योगेन्द्र नाथ सक्सेना स्मारक छात्रवृत्ति :

इसे महाविद्यालय के संस्थापक श्री गोपाल सक्सेना की ओर से अपने पूज्य पिता श्री योगेन्द्र नाथ सक्सेना की स्मृति में प्रतिवर्ष 1000/- रू. की छात्रवृत्ति ऐसे विद्यार्थी को दी जायेगी जिसने बी.ए. में महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं।

2. स्व. श्री बी.बी.एल. स्मारक छात्रवृत्ति :

हमारे महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य श्री बी.बी.एल. अग्रवाल की स्मृति में उनकी भतीजी डॉ. हिमश्वेता द्वारा अंग्रेजी साहित्य में बी.ए. के तीनों वर्षों में मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 500/- रू. की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।

प्रमुख प्रोत्साहन पदक :

विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में इस महाविद्यालय के संस्थागत विद्यार्थी के रूप में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा स्वर्ण पदक प्रति वर्ष प्रदान किये जायेंगे।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना भी 2007-2008 से प्रारम्भ हो चुकी है। स्नातक कक्षा के विद्यार्थी इसके सदस्य बनकर रचनात्मक एवं सामाजिक कार्यों द्वारा देश के उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं।

खेलकूद

महाविद्यालय में सभी प्रमुख खेल जैसे- कबडडी, खो-खो, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, बालीबॉल, क्रिकेट, बैडमिन्टन, टेबिल टेनिस आदि होते हैं। क्रीड़ा अधीक्षक के कुशल निर्देशन में अन्य शिक्षक बन्धुओं के सहयोग से सभी खेल सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाते हैं। महाविद्यालय में खेल प्रशिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को सभी खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

अनुशासन परिषद्

महाविद्यालय में अनुशासन सम्बन्धी समस्याओं के निदान हेतु अनुशासन परिषद् का गठन किया गया है। इस परिषद् के चीफ अन्य शिक्षकों के सहयोग से अनुशासन व्यवस्था को देखते हैं। परिचय पत्र खो जाने की अवस्था में दूसरा परिचय-पत्र प्रॉक्टर की लिखित अनुमति के उपरान्त ही प्राप्त किया जा सकता है।

वाहन स्थल

महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिये वाहन-स्थल का समुचित प्रबन्ध है। विद्यार्थी तथा महाविद्यालय का समस्त स्टाफ अपने वाहन स्थल पर ही रखेंगे।

महत्वपूर्ण स्मरणीय निर्देश

- बी.ए., बी.काम. एवं बी.एस-सी. का एक वर्ष का शुल्क रु. 5000/- प्रति वर्ष (पाँच हजार रूपये) है।
- बी.ए., बी.काम. एवं बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र विवरण पुस्तिका के अन्त में लगे आवेदन-पत्र, छात्र-वृत्ति आवेदन-पत्र ठीक से भर कर महाविद्यालय में जमा कर अपना पंजीकरण/प्रवेश सुनिश्चित कर लें।
- अनुसूचित जाति (एस.सी.) के विद्यार्थियों का प्रवेश नि:शुल्क किया जायेगा।
- शासन के निर्देशानुसार जिन विद्यार्थियों के माता-पिता की आय 2 लाख रू. तक है उन सभी को सम्बंधित विभागों द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अत: सभी पात्र छात्र/छात्राएं अपने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ आय का मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं बैंक पास बुक की छायाप्रति संलग्न करें। अन्यथा उनका फार्म निरस्त किया जा सकता है।
- विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा आवेदन पत्र (Examination Form) माह सितम्बर, अक्टूबर में प्रत्येक वर्ष भरे जाते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा की अनुमति विश्वविद्यालय के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात ही दी जा सकेगी।
- विश्वविद्यालय के परीक्षा आवेदन पत्र समय से महाविद्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त कर लें। जिससे भविष्य में आने वाली कठिनाई से बचा जा सके।
- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् परीक्षा आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के पश्चात् ही स्वीकार किये जा सकते हैं।
- प्रत्येक छात्र/छात्रा की 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र रखना अनिवार्य है।
- महाविद्यालय शुल्क जमा करने की रसीद विभाग के प्रभारी को दिखाकर विद्यार्थी अपना नाम छात्र उपस्थिति पंजिका में अवश्य लिखा दें।
- अन्य शैक्षणिक तिथियाँ विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कैलेंडर के अनुसार होंगी।
- परीक्षा-आवेदन पत्र को भरकर कार्यालय में यथासमय जमा करना विद्यार्थी का स्वयं का दायित्व होगा।
- महाविद्यालय की विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय का सूचना-पट अनिवार्य रूप से देखेगा।

विशेषताऐं

1. सभी पात्र छात्र/छात्राओं को 100% छात्रवृत्ति की सुविधा।
2. सभी परीक्षाऐं झम्मन लाल डिग्री कॉलेज में ही सम्पन्न।
4. तहसील हसनपुर में बी.ए. में केवल झम्मन लाल डिग्री कालेज में 16 विषय हैं।
5. तहसील का पहला स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिसमें एम.एस.-सी., गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, एम.ए., गृह विज्ञान, अग्रेजी, ड्राईग एवं पेंटिग, उर्दु, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं भूगोल विषय हैं।
6. छात्र/छात्राओं की विश्वविद्यालय स्तर पर खेलकूद में नियमित भागीदारी।
7. एन.एस.एस. कैम्प नियमित रूप में लगाये जाते हैं।
8. जेनेरेटर की व्यवस्था।
9. Campus में Wi-Fi सुविधा।
10. पुस्तकालय की सुविधा।
11. उर्दु के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की ओर से महाविद्यालय में प्रतिवर्ष अलग से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
12. लडकियों के लिए अलग से जी.सी.आर. (गर्ल्स कॉमन रूम) की व्यवस्था।
13. सभी प्रवक्ता NET एवं Ph.D.
14. गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकों की सुविधा।
15. परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत।

• लाईट • हाईट • माईट

उन लोगों के लिए जो सर्वोत्तम में विश्वास रखते हैं

सुनील कुमार इंटरनेशनल एकेडमी

...क्रिएटिंग ए बैटर वर्ल्ड फॉर ह्यूमेनिटी

(A Unit of Jhamman Lal PG College, Hasanpur)

रजिस्ट्रेशन/ प्रवेश प्रारंभ

प्री-नर्सरी से कक्षा पांच तक

जल्दी कीजिए 50% से अधिक सीटें भर चुकी हैं।

तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर

गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने वाला एकमात्र स्कूल

हसनपुर और आस-पास के क्षेत्र में स्मार्ट क्लासेज देने वाला पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल

हम ध्यान देते हैं :

- उत्कृष्ट बाल विकास पर
- उचित पालन-पोषण पर
- नवीनतम शिक्षण विधियों पर
- बच्चों के स्वास्थ्य और सफाई पर
- बच्चों के सर्वांगीण विकास पर

अभिभावकों का प्रबंधतंत्र से सीधा संपर्क और समस्याओं का निराकरण

M.: 9837358377, 9837791663, 9012491889

किड्स जोन, नियर झम्मन लाल पी.जी0 कॉलेज, हसनपुर, अमरोहा

नोट : सीबीएसई नई दिल्ली से शीघ्र मान्यता प्राप्त कर ली जायेगी, मान्यता प्रक्रिया में है।